

प्रेषक:

ए0एस0 मांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा से,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के अन्तर्गत 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षेत्र 0 का 0, लो 0 नि 0 वि 0, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 03 कार्यों के प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी लम्बाई 13.00 किमी एवं लागत ₹ 139.32 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण माई गई लागत ₹ 139.32 लाख (₹ एक करोड़ तन्वालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवेदन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें श्रैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा मार्जार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वोरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00

(9)

-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-488/XXVII(2)/2016 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

महोदय
(ए०एस० पांगली)
उप सचिव

संख्या:- /111(2)/17-04(एम०एस०एस०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, पदवाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 0, लोनिवि०, पौड़ी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड।

(ए०एस० पांगली)
उप सचिव

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चौलू वित्तीय वर्ष में अनुमोदित की जा रही धनराशि।
1	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ़-डाडौं मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	48.35	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैदाना-स्यालतरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	48.35	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत रा०ड०का० चौण्डी से बिरसण सेरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	42.62	0.10
	कुल	13.00	139.32	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

(ए० एस्स० पांगती)

उप सचिव

८
कायालय
अधीक्षण अधियन्ता
स्वतंत्र वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

कुसुं ११०/५। माला-७/०१७/६० ११/०१/०१७

प्रालिखित:- अक्षि० अक्षिपत्त॥ नि० खण्ड लो० नि० वि०

पोखरी का छावबन्धन कपियारी द्वीप पर है।

प्रतिक्रिया:- कठिण अभिक्रिया प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाना

प्रा. ८.

आचार्य कृत जी० नि० वि०
४२ नोवेंबर